शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कियान्वित अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (AMRUT- Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति" (SHPSC- State Level High Power Steerng Committee) की बैठक दिनांक 30.03.2016 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :

सर्वश्री–

1– प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2– श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मुरली मनोहर लाल, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– बी0के0एल0 श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– के. रवीन्द्र नायक, परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
6– अबरार अहमद, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– एम0बी0 गुप्त, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– ओम प्रकाश, विशेष सचिव, वन विभाग, उ.प्र. शासन।
9– उमा शंकर सिंह, विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
10– कृपा शंकर शुक्ल, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
11– राकेश कुमार मिश्र, राज्य मिशन निदेशक/निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
12– डा0 निशीथ राय, निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
13– ए0के0गुप्ता, अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
14– डा0 अलका सिंह, उप निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
15– एच0पी0 शाही, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
16– उदय राज सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
17– विशाल भारद्वाज, अपर निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
18– पी0के0 श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
19– प्रेम आसूदानी, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
20– अनूप सक्सेना, निदेशक, सीएण्डडीएस, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
21– ए0के0राय, महाप्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
22– सुखेन्द्र कुमार, अपर निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
23– एम0सी0 जोशी, मुख्य अभियंता(नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
24– यू0के0 तायल, पीडीएमसी, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
25– बी0पी0 सिंह, महाप्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
26– के0के0अग्रवाल, टीम लीडर, पीएमयू, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र.।
27– रवीन्द्र बोरा, अधीक्षण अभियंता, उ.प्र.जल निगम, लखनऊ।
28– जियाउल हक, अरबंन प्लानर, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

सर्वप्रथम बैठक में अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के अध्यक्ष/मुख्य सचिव एवं भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री प्रवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव,, शहरी विकास मंत्रालय का स्वागत करते हुए अमृत योजना के अन्तर्गत गठित उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति को यह अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी संचालन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 04.12.2015 में उ0 प्र0 राज्य का स्टेट एनुवल एक्शन प्लान की समिति द्वारा दी गई संस्तुति के उपरान्त दिनांक 15.12.2015 को सचिव, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित अपेक्स कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के स्टेट एनुवल एक्शन प्लान की स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत स्टेट एनुवल एक्शन प्लान में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले श्रेणी में कुल 60 नगर चयनित किये गये थे

तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा अयोध्या नगर को भी सम्मिलित करने के पश्चात् कुल नगरों की संख्या 61 हो गयी है। इनमें से उत्तर प्रदेश के 7 नगर 10 लाख से अधिक की आबादी वाली श्रेणी में हैं तथा 54 नगर 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों की श्रेणी में है। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों में परियोजना लागत का 1/3 भाग भारत सरकार द्वारा तथा 2/3 भाग राज्य सरकार द्वारा तथा इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज राज्य सरकार द्वारा तथा आगामी पाँच वर्षों के रख–रखाव का दायित्व नगरीय निकायों तथा राज्य सरकार को वहन करना होगा। 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों की श्रेणी में परियोजना लागत का 1/2 भाग भारत सरकार द्वारा तथा अवशेष 1/2 भाग राज्य एवं नगरीय निकायों द्वारा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, अर्बन ट्रान्सपोर्ट इत्यादि योजनाओं में निर्धारित किया गया है.तथा ग्रीन स्पेस एवं पार्क मद के अन्तर्गत सभी नगरों में 1/2 भाग भारत सरकार तथा 1/2 भाग राज्य सरकार एवं नगरीय निकायों द्वारा लगाया जाना प्रस्तावित है।

2– अपेक्स कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 60 परियोजनाऐं पेयजल योजना के अन्तर्गत, 25 योजनाऐं सीवरेज एवं सेपटेज के अन्तर्गत तथा 86 योजनाऐं ग्रीन स्पेस एवं पार्क की हैं। इस प्रकार कुल 171 परियोजनाऐं वित्तीय वर्ष 2015–16 के स्टेट एनुवल एक्शन प्लान में स्वीकृत की गयी हैं, जिसके अनुसार पेयजल योजनाओं की कुल लागत 1519.19 करोड़ तथा सीवरेज तथा सेप्टिक मैनेजमेन्ट योजनाओं की लागत 1697.62 करोड़ तथा ग्रीन स्पेस तथा पार्क की योजनाओं की लागत 70.455 करोड़ है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्ययोजना 3287.27 करोड़ रूपये की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है, जिसमें 1409.07 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में तथा 1878.26 राज्य एवं नगरीय निकायों के अंश तथा 43.62 करोड़ की धनराशि A&OE मद में स्वीकृत हुई है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश 1409.07 करोड़ के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि 281.81 करोड़ रूपये राज्य सरकार को अवमुक्त की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा भी यह धनराशि मिशन निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 को अवमुक्त की जा चुकी है।

3– अमृत योजना की दिशा–निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सल्टैन्ट, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) तथा राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (SHPSC) का गठन हो चुका है। पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज के कार्यो हेतु उ0 प्र0 जल निगम को पीडीएमसी तथा अर्बन ट्रान्सपोर्ट एवं ग्रीन स्पेस व पार्क के लिए क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को पीडीएमसी नामित किया जा चुका है।

4– अमृत योजना के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के पैरा 11 के अनुसार परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृत के पश्चात् परियोजना की तकनीकी स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा परियोजनाओं की डीपीआर का अप्रेजल किया जायेगा तथा परियोजना की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति द्वारा की जायेगी।

5– उक्त के क्रम में 11 फरवरी, 2016 को सचिव नगर विकास, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें संलग्नक–1 के अनुसार उपलब्ध योजनाओं की संस्तुति राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन संमिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु की गयी, जिसके क्रम में 19 नगरों की 20 पेयजल परियोजनाऐं तथा 12 नगरों की 13 सीवरेज परियोजनाऐं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। बैठक में यह अवगत कराया गया कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों में परियोजना लागत का 1/3 भाग भारत सरकार द्वारा तथा 2/3 भाग राज्य सरकार द्वारा तथा इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज राज्य सरकार द्वारा तथा आगामी पाँच वर्षो के रख–रखाव का दायित्व नगरीय निकायों तथा राज्य सरकार को वहन करना होगा। इसी प्रकार 10 लाख से कम की आबादी वाले नगरों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत भाग राज्य

सरकार द्वारा तथा परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत भाग सेन्टेज चार्जेज के रूप में राज्य सरकार द्वारा तथा आगामी 5 वर्षो के रख-रखाव पर होने वाले व्यय राज्य सरकार एवं नगरीय निकायों को वहन करना होगा।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति द्वारा निम्नांकित संस्तुतियां की गई:-

- संलग्नक 1 के अनुसार कुल 19 पेयजल तथा 13 सीवरेज की परियोजनाओं की समिति द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा जो केन्द्रांश परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है उस धनराशि को 10 दिन में संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अवमुक्त कर दिया जाये।
- जिन नगरों के डीपीआर का मूल्यांकन/अनुमोदन पीएफएडी/व्यय वित्त समिति से कराया जाना है उनके मूल्यांकन/अनुमोदन के पश्चात् जो धनराशि उनके द्वारा संस्तुत की जाय उसी के अनुसार परियोजना में धनराशि स्वीकृत मानी जायेगी।
- सभी परियोजनाओं की कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 जल निगम है। अतः उ0प्र0 जल निगम को उन योजनाओं के क्रियान्चयन हेतु यथाशीघ्र निविदा की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दे तथा अमृत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए डेढ़ महीने के अन्दर निविदा इत्यादि के कार्यो को कराये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- बैठक में अमृत योजना के अन्तर्गत क्षमता संवर्धन के संबंध में अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्टेट एनुवल एक्शन प्लान के अन्तर्गत 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 600 जनप्रतिनिधियों तथा 900 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्ययोजना है, जिसके अन्तर्गत 2.11 करोड़ की धनराशि तथा 0.99 करोड़ की धनराशि, वर्कशाप, सेमीनार तथा रिसर्च स्टडीज़ के लिए स्वीकृत की गयी है। समिति को अवगत कराया गया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग एण्ड ट्रेनिंग के अन्तर्गत क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र को राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 का अनुमोदन हो चुका है तथा आरसीयूईएस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी, 2016 से प्रारम्भ करा दिये गये है। 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए 210 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा सर्वाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ही आयोजित किये गये है।
- अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति द्वारा क्षमता संवर्धन को एक महत्वपूर्ण घटक मानते हुए यह निर्देश दिया गया है कि अप्रैल, 2016 से प्रशिक्षण कार्यक्रम समयबद्ध रूप से प्रारम्भ किये जांय। संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता दिये जाने पर बल दिया गया। समिति द्वारा अप्रैल, 2016 से समयबद्ध रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने की संस्तुति की गई, जिससे अमृत योजना के बारे में नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके तथा योजना का सफल क्रियान्वयन सम्भव हो सके। सी0सी0बी0पी0 कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की कार्यवाही प्रारम्भ कराते हुए आसीयूईएस द्वारा प्रशिक्षण कार्यकम प्रारम्भ कराये जाए।
- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि अमृत योजना के अन्तर्गत आरसीयूईएस द्वारा सभी 60 नगरों के सर्विस लेवल इम्प्रोवमेन्ट प्लान तथा उ0 प्र0 राज्य का स्टेट एनुवल एक्शन प्लान तैयार किया गया था तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारम्भ करा दिये गये थे परन्तु अभी तक उपरोक्त कार्यो के लिए आरसीयूईएस को कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में समिति द्वारा उक्त बिन्दुओं पर यथाशीघ्र समाधान कराये जाने हेतु सचिव, नगर विकास एवं निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

- बैठक में केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश निर्गत किये जाने की कार्यवाही मा0 मंत्रि–परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् तत्काल सुनिश्चित किया जाय।
- संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पार्कों को विकसित किये जाने हेतु डी0पी0आर0 की स्थिति जाननी चाही। उक्त के संबंध में सचिव नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि पार्क के 15 डीपीआर तैयार कर लिये गये हैं तथा आगामी राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में उपरोक्त परियोजनाओं को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। अप्रैल, 2016 के अन्त तक अवशेष नगरों के भी पार्क से संबंधित डीपीआर तैयार कराकर कार्यों को प्रारम्भ कराने के प्रयास किये जायेंगे।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार–विमर्श तथा संस्तुति के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

<u>संलग्नक : यथोक्त (संस्तुत परियोजनाओं की सूची)।</u>

06/4/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–1095/नौ–5–2016–180सा/2015टीसी
लखनऊः दिनांक 06 अप्रैल 2016

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

DPR OF SEWERAGE

S.No.	ULBs Name	Project Cost	Project SAAP Cost as per	Central Share	State/ULB Share	Centage	O&M	Existing Coverage (in %)	Proposed Coverage (in %)
		(In Rs. lakhs)							
1	NN Kanpur	3788.00	6500.00	**1123.61**	**2247.25**	417.19	25.08	38.40	41.54
2	NPP Loni	4333.19	1325.00	1927.98	1927.98	477.22	32.24	0.00	14.26
3	NN Varanasi	19538.00	10500.00	**5795.50**	**11591.01**	2151.80	107.51	59.86	93.31
4	NPP Muzaffarnagar	3489.00	802.00	1552.27	1552.27	384.23	16.01	0.49	7.31
5	NN Allahabad	10801.28	13375.00	**3203.91**	**6407.81**	1189.57	79.60	48.53	73.47
6	NPP Mathura	6211.21	4200.00	2763.58	2763.58	684.05	51.55	13.08	38.85
7	NPP Rampur	2500.00	2500.00	**1112.31**	**1112.31**	275.33	16.32	0.00	11.99
8	NN Meerut	5091.73	5000.00	**1510.32**	**3020.38**	560.76	31.35	50.63	58.86
9	NPP Ballia	4469.63	1487.00	1988.69	1988.69	492.25	24.46	0.00	76.62
10	NN Lucknow	8686.51	16500.00	**2576.61**	**5153.23**	956.66	54.06	39.41	43.31
11	NN Ghaziabad	3534.50	30703.00	**1048.41**	**2096.84**	389.25	22.49	83.83	87.30
12	Dundahera, (NN Ghaziabad)	13123.35		**3892.68**	**7785.37**	1445.30			
13	NPP Azamgarh	2179.79	4081.00	969.86	969.86	240.07	13.70	0.00	36.09
	Total	87746.19	96973	29465.73	48616.58	9663.68	474.37		

DPRS OF WATER SUPPLY

S. No.	ULB Name	Project cost	Project [illegible]	Central Share	State/ULB Share	C[illegible]re	O&M	Existing Coverage (in %)	Proposed Coverage (in %)
		(In Rs. lakhs)							
1	NPP Ambedkernagar	214.00	963.00	95.25	95.24	23.58	1.10	23.12	41.25
2	NPP Khurja	496.91	439.00	221.10	221.09	54.73	2.58	40.49	92.00
3	NPP Rampur	302.88	172.00	134.76	134.76	33.36	2.02	17.00	25.00
4	NPP Faizabad	505.00	468.00	224.70	224.70	55.62	2.55	70.00	92.00
5	NPP Amroha	559.23	12.00	731.87	731.87	181.16	6.30	31.56	90.00
6	NPP Hapur	1704. 79	2050.00	758.52	758.52	187.75	8.22	33.87	90.00
7	NN Meerut -I	1664.25	7461.00	493.60	987.40	183.25	7.93	50.63	62.69
	NN Meerut-II	2683.15		795.88	1591.77	295.50	426.11		
8	NPP Jaunpur	889.39	1200.00	395.72	395.72	97.95	4.27	53.40	95.00
9	NPP Azamgarh	61.44	437.00	27.34	27.34	6.77	0.61	50.20	57.69
10	NPP Bulandshahar	113.32	556.00	50.42	50.42	12.48	1.12	32.88	37.10
11	NPP Sultanpur	94.64	2740.00	42.11	42.11	10.42	0.46	52.75	61.13
12	NPP Shikohabad	154.53	4.00	68.76	68.7	17.02	0.85	21.14	41.65
13	NPP Loni	2718.00	1420.00	1209.65	1209.65	299.42	18.32	20.60	83.20
14	NN Allahabad	3471.25	5600.00	1019.46	1656.61	382.30	480.13	78.16	81.28
15	NN Varanasi	3572.49	7500.00	1059.68	2119.36	393.45	14.19	66.70	90.00
16	NN Ghaziabad	3227.14	4539.00	957.24	1914.48	355.41	15.98	68.83	85.35
17	NPP Sambhal	138.56	13.00	61.65	61.65	15.26	0.64	25.20	32.80
18	NPP Chandausi	50.26	450.00	22.36	22.36	5.54	0.22	40.18	44.13
19	NPP Mirzapur	820.00	9089.00	364.84	364.84	90.32	3.94	58.97	92.00
	Total	21736.44	45113	8734.91	12678.59	2701.29	997.54		